रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 165] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 1976/चैत्र 11, 1898
No. 165] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 1976/CHAITRA 11, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

WEALTH-TAX

New Delhi, the 31st March 1976

S.O. 267(E).—In exercise of the powers conferred by section 46 of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Wealth-tax Rules, 1957, namely:—

1. (1) These rules may be called the Wealth-tax (Second Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 1976

2. In the Wealth-tax Rules, 1957 (hereinafter referred to as the principal rules), after Chapter V, the following Chapter shall be inserted, namely:—

"CHAPTER VA

SETTLEMENT OF CASES

22A. *Form of application for settlement of case*—(1) An application for settlement of a case under sub-section (1) of section 22C shall be made in quintuplicate in Form DA.

(2) The form of application referred to in sub-rule (1) and the form of verification appended thereto shall be signed by the person specified in section 15A.

(3) Every application in connection with the settlement of a case shall be accompanied by a fee of five hundred rupees.

22B. *Fee for furnishing copy of report.*—(1) The following scale of fees shall be levied by the Settlement Commission for furnishing under section 22G a copy of any report or part of any report made by any Wealth-tax authority to the Settlement Commission:—

For the first two hundred words or less	80 paise
For every additional hundred words or fraction thereof	40 paise.

(2) The fee referred to in sub-rule (1) shall be recovered in advance in cash.".

3. In the principal rules,—

(a) in Form F,—

(i) in item 6, after the figures and brackets "18(1)", the figures, letter and brackets "/18(1)" shall be inserted;

(ii) in item 7, after the figures and brackets "18(3)", the figures, letter and brackets "/18A(1)" shall be inserted;

(iii) in item 8, after the figures "18", the figures, letter and brackets "/18A(1)/23" shall be inserted;

(b) after Form D, the following Form shall be inserted, namely:—

FORM DA

[*See* rule 22A]

Form of application for settlement of case under section 22C(1) *of the Wealth-tax Act,* 1957.

In the Settlement Commission ....

*Settlement application No. .... 19.......... 19...........

1. Full name and address of the applicant.

---

2. Permanent account number.

---

3. The Commissioner having jurisdiction over the applicant.

---

4. Proceeding to which the application for settlement relates.

---

5. Assessment year(s) in connection with which the application for settlement is made.

---

6. The Wealth-tax authority before whom the proceeding is pending.

---

7. If the application is made after withdrawing any appeal pending before the Appellate Tribunal, the date on which the order of the Tribunal permitted withdrawal of the appeal was communicated to the applicant.

---

8. †Particulars of the matter to be settled.

....

(Signed)

Applicant

Verification

I, ..., the applicant, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Verified today the .... day of .... 19......................

....

(Signed)

Applicant

NOTES:—

1. The application for settlement must be in quintuplicate.

2. The application for settlement must be accompanied by a fee of five hundred rupees. The fee should be credited in the Treasury or a branch of the State Bank of India or a branch of the Reserve Bank of India and the triplicate challan sent to the Settlement Commission with the application for settlement. The Settlement Commission will not accept cheques, drafts, hundies or other negotiable instruments.

3. *The number and year of application will be filled in in the office of the Settlement Commission.

+4. If the space provided is found insufficient, separate enclosures may be used for the purpose.

5. The application for settlement of a case shall not be allowed to be withdrawn by the applicant.".

[No. 1268/F. No. 142(14)/76-TPL]

O. P. BHARDWAJ, Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

धन-कर

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1976

का० आ० 267(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धन-कर नियम, 1957 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम धन-कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये एक अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त होंगे।

2. धन कर नियम, 1957 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, अध्याय V के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"अध्याय V क

मामलों का समझौता

22क. **मामले के समझौते के लिए आवेदन का प्ररूप**.—(1) धारा 22क की उपधारा (1) के अधीन मामले के समझौते के लिए आवेदन प्ररूप घक में पांच प्रतियों में किया जाएगा ;

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन के, प्ररूप और उससे संलग्न सत्यापन के प्ररूप पर उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो धारा 15क में विनिर्दिष्ट है।

(3) किसी मामले के समझौते के सम्बन्ध में प्रत्येक आवेदन के साथ पांच सौ रुपये फीस होगी।

22ख. **रिपोर्ट की प्रति देने के लिए फीस**.—(1) किसी धन कर प्राधिकारी द्वारा समझौता आयोग को दी गई किसी रिपोर्ट या किसी रिपोर्ट के भाग की धारा 22 छ के अधीन प्रतिलिपि देने के लिए समझौता आयोग द्वारा निम्नलिखित फीसमान अधिरोपित किया जाएगा :—

प्रथम दो सौ या उससे कम शब्दों के लिए	80 पैसे
प्रत्येक अतिरिक्त सौ शब्दों या उसके भाग के लिए	40 पैसे

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट फीस नकद रूप में अग्रिम वसूल की जाएगी।"

3. मूल नियमों में,—

(क) प्ररूप घ में,

(i) मद 6 में, "18(1)" अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्, "/18क (1)" अंक, अक्षर और कोष्ठक जोड़े जाएंगे ;

(ii) मद 7 में, "18(3)" अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्, "/18 क (3)" अंक, अक्षर और कोष्ठक जोड़े जाएंगे ;

(iii) मद 8 में, "18" अंकों के पश्चात्, "/18 क (1)/23" अंक, अक्षर और कोष्ठक जोड़े जाएंगे ;

(ख) प्ररूप घ के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप जोड़ा जाएगा, अर्थात :—

" प्ररूप घ क

[नियम 22क देखिए]

धन-कर अधिनियम 1957 की धारा 22क (1) के अधीन मामले के समझौते के लिए आवेदन का प्ररूप

समझौता आयोग .... में

* समझौता आवेदन संख्या ...., 19..........19.......

1. आवेदक का पूरा नाम और पता

---

2. स्थायी खाता संख्या

---

3. आयुक्त जिसकी आवेदक पर अधिकारिता है

---

4. कार्यवाही / कार्यवाहियां जिससे/जिन से समझौते के लिए आवेदन सम्बन्धित है

---

5. निर्धारण वर्ष जिसके /जिनके सम्बन्ध में समझौते के लिए आवेदन किया गया है

---

6. धन-कर प्राधिकारी जिसके समक्ष कार्यवाही/कार्यवाहियां लम्बित है / हैं।

---

7. यदि आवेदन, अपील अधिकरण के समय लम्बित किसी अपील का प्रत्याहरण करने के पश्चात् किया गया है तो वह तारीख जिसको अपील का प्रत्याहरण अनुज्ञात करने वाले अधिकरण का आदेश आवेदक को संसूचित किया गया था।

+9. उस मामले की विशिष्टियां जिसका समझौता किया जाना है।

....

(हस्ताक्षर)

आवेदक

सत्यापन

मैं...................., आवेदन, इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर जो कहा गया है वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है ।

आज 19............... को/की ....के दिन को सत्यापित ।

....

(हस्ताक्षर)

आवेदक "

टिप्पण

1. समझौते के लिए आवेदन पांच प्रतियां में होना चाहिए ।

2. समझौते के लिए आवेदन के साथ पांच सौ रुपए फीस होनी चाहिए । फीस खजाने या भारतीय स्टेट बैंक की शाखा या भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा में जमा किया जाना चाहिए और समझौते के लिए आवेदन के साथ तीन प्रतियों में चलान समझौता आयोग को भेजा जाना चाहिए । समझौता आयोग चैक, ड्राफ्ट, हुण्डियां या अन्य पराक्रम्य लिखतें स्वीकार नहीं करेगा ।

*3. आवेदन की संख्या और वर्ष समझौता आयोग के कार्यालय में भरे जाएंगे ।

+4. यदि दिया गया स्थान अपर्याप्त पाया जाए तो इस प्रयोजन के लिए पृथक संलग्नकों का प्रयोग किया जा सकता है ।

5. किसी मामले के समझौते के लिए आवेदन का आवेदन द्वारा वापस लिया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।"

[सं० 1268/फा० स० 142(14)/76/टी० पी० एल]

ओ० पी० भारद्वाज, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976